न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. समाराम पुत्र गलीयाजी उर्फ गलाजी 2. भंवरलाल पुत्र गलीयाजी उर्फ गलाजी जातिगण ढेड (मेघवाल) निवासीगण सिरोही		1. कंचन अमृत हरण एज्युकेशन ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय 16/5 एकाम्बेश्वर अगराराम स्ट्रीट, चैन्नई (तमिलनाडु) जरिये ट्रस्टी जय विक्रमहरण, चैन्नई (तमिलनाडु)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अश्विन मरड़ीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/5/2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 106/2013 बअनवान समाराम वगैरा बनाम कंचन अमृत हरण एज्यूकेशन ट्रस्ट में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरोही प्रथम के गत्त खसरा नम्बर 231, 240 व 241 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 922, 928 व 938 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो पूर्व में अपीलाण्ट के पिता गलाजी पुत्र मोतीजी के नाम दर्ज थी। गलाजी के विधिक वारिशान में उनके दो पुत्र, जो अपीलाण्ट है एवं दो पुत्रियां बसी व लुंगी एवं गलाजी की पत्नि कोकू थे। गलाजी फौत होने पर उक्त भूमि अपीलाण्ट एवं उनकी माता कोकू के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा विधिक जानकारी नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट को भूमि विक्रय कर दिया, जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विक्रय की प्रतिफल राशि अपीलाण्ट को अदा भी नहीं की है। इस कारण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन के कारण उक्त बेचान दस्तावेज शून्य प्रभावी है। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के बेचान हस्तान्तरण एवं भूमि के रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में होते हुए भी जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा न केवल प्रार्थना पत्र अपितु सम्पूर्ण प्रकरण ही निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 के प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का यह भी दृष्टिकोण रहा कि प्रकरण रेसज्यूडिकेटा से बाधित है, किन्तु उक्त बाधा किस प्रकार है, सह स्पष्ट नहीं किया है। यदि प्रकरण रेसज्युडिकेटा से बाधित था, तो तनकीयात बनानी चाहिए थी, जो नहीं बनाई गई तथा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण दायर करवाया गया है, उसमें भूमिधारक को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिस दिन भूमि विक्रय हुई, उस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। उसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त बेचान दस्तावेज विधि सम्मत है। उक्त निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में भी विवेचित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया है कि कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट स्वयं जैर अपील वादस्थ भूमि पर हमारा कब्जा मानते है। अपीलाण्ट द्वारा भूमि का विक्रय ही किया जा चुका है, तो अब उक्त भूमि में अपीलाण्ट का किसी प्रकार का हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। एक बार भूमि विक्रय हो चुकी है, तो दुबारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि के अधिकार किस आधार पर प्राप्त हो सकते है। अपीलाण्ट द्वारा भूमि विक्रय का प्रतिफल प्राप्त किया है तथा भूमि को विक्रय करने से भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के समस्त हक अधिकार समाप्त हो चुके है। इन समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज की जावे। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को ही आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया एवं प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि थी, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान की गई है। उक्त बेचान हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 को किस रूप में प्रभावित करता है तथा धारा 175 हस्तगत प्रकरण को किस रूप में प्रभावित करती है, यह मूल वाद का विषय है, जो तनकीयात कायम होकर विधि के विवेचन पश्चात तनकीयात विनिश्चिय पर ही संभव होगा। यद्यपि अपीलाण्ट भूमि का विक्रय कर चुके है, जिससे उक्त भूमि में उनके हक हकूक शेष नहीं रहे है, तथापि सम्भवतः यदि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है, तो प्रकरण में वादस्थ भूमि सरकार में निहित होगी, उक्त समस्त स्थिति मूल वाद में तय होनी है, किन्तु इस दौरान भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो निश्चय ही विधिक पेचीदगीयां बढ़ेगी, जिसे रोका जाना आवश्यक है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 106/2013 बअनवान समाराम वगैरा बनाम कंचन अमृत हरण एज्यूकेशन ट्रस्ट में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके के भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करें तथा न ही अन्य किसी से करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार सिरोही को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प सिरोही